31/03/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात जाहिर है कि प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 ए में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी जा रही है कि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम करावल के खसरा नंबर 175/195, 175/198 178/205, 178/206 की भूमि में आवागमन के लिये रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसीलदार बाली व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा रेकर्ड व मौका स्थिति की जाँच के बाद रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को उसके खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 209 रकबा 1.30 हैक्टर में से नवीन रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध कराये जाने की दलील दी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दलील दी गई कि आपत्तिकर्ता भानुप्रताप सिंह का उक्त प्रकरण में कोई रोल/अस्तित्व नहीं है। प्रार्थी भानुप्रतापसिंह द्वारा निरर्थक झूठे तथ्य प्रकट करते हुये आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के खातेदारी भूमि तक पहुँच का कोई रेकर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा उल्लेखित तथाकथित पूर्व में सहखातेदारों के मध्य हुये विभाजन में छोडे गये रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण होने से तथा आवेदक प्रार्थी की धारित खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये कोई गैरमुमकिन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत धारा 251 ए के तहत उक्त आवेदन पेश किया है। जिसमें प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे एवं आपत्तिकर्ता की आपत्तियों को खारिज किया जावे। प्रार्थी पक्ष की दलीलों का खण्डन करते हुये आपत्तिकर्ता भानुप्रतापसिंह के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी जा रही है कि आपत्तिकर्ता भी एक सहखातेदार है। प्रार्थी कुलदीपसिंह उसके चाचाजी लगते है पूर्व खातेदारान दुर्गासिंह, गजेन्द्रसिंह एवं स्व. भगवानसिंह के वारिसान के मध्य संपूर्ण भूमि का आपसी बंटवाड़ा कर रखा है जिस बंटवाड़े में प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से बंट में रखी गई भूमि तक पहुँच के लिये रास्ते एवं पानी की नालियों इत्यादि के लिये पूरी व्यवस्था की गई है। जिस आपसी बंटवाड़े के पश्चात रिकार्ड में अमल दरामद होकर खाते अलग-अलग कर दिये है व रास्ता सभी पक्षकारान की भूमि से जुड़ाव रखते हुये छोड़ा हुआ है जिससे किसी पक्षकार को रास्ते की असुविधा नही है। आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा बहस के अंत में दलील दी गई कि रास्ता मौजूद होते हुये प्रार्थी कुलदीपसिंह ने सरासर झूठा आवेदन पेश किया है, जिसके साथ नक्शा भी गलत पेश किया है एवं इस बाबत संबंधित कर्मचारियों से सांठगांठ कर झूठी रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है। जिससे कुलदीपसिंह को अल्टरनेट रास्ता उपलब्ध होने से नये सिरे से रास्ते की मांग करने का कानूनन अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र श्री कुलदीपसिंह धारा 251 ए खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

अध्ययन किया गया। उभयपक्ष वकुलाय की बहस एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में वर्णित विधि के प्रावधानों पर भी मनन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थी कुलदीपसिंह व इसके अन्य सहखातेदारान द्वारा पूर्व में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमियों का आपसी सहमति से बंटवाड़ा हुआ है तथा जिस बटंवाड़े के पश्चात ही प्रार्थी द्वारा धारित खातेदारी भूमि ग्राम वशवल के खसरा नंबर 175/195, 175/198, 178/205, 178/206 का खाता अलग हुआ है तथा अन्य सहखातेदारों के भी खाते अलग-अलग होकर भूमि अलग-अलग खातों में दर्ज हुई है। पूर्व बंटवाड़े में आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार सभी खातेदारों की भूमियों तक पहुँच मार्ग मौके पर मौजूद है। धारा 251 ए में विधि के प्रावधानों अनुसार पूर्व में रास्ता मौजूद होने पर नये सिरे से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता परंतु प्रार्थी कुलदीपसिंह ने अपनी खातेदारी भूमि तक पूर्व बटंवाड़े में छोड़ा गया रास्ता उपलब्ध होते हुये ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 209 राजकीय सिवायचक भूमि में से अपरोक्ष रूप से वैकल्पिक रास्ता न्यायालय से स्वीकृत कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसकी अनुमति विधि के प्रावधान नहीं देते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी कुलदीपसिंह धारा 251 ए खारिज किया जाता है। प्रार्थी कुलदीपसिंह पूर्व बटंवाड़े में रास्ते प्रयोजन ~~रखी~~ [signature]

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

भूमि का उपयोग अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग के रूप में लेवे। तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि यदि पूर्व बंटवारे में रास्ते प्रयोजन संयुक्त सह खातेदारी भूमि का म्यूटेशन दर्ज नहीं किया है तो रास्ते हेतु छोडी गई भूमि को राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता सभी सहखातेदारों के निजी खातेदारी में राजस्व ग्रुप-6 के परिपत्र दिनांक 30-9-2021 के अनुरूप पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)